

डॉ यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय
फल विज्ञान विभाग, नौणी, सोलन हिमाचल प्रदेश 173230

पत्र सं. /यू एच एफ/ फल विज्ञान/ निलामी/2024/ 946-954


दिनांक : 05.07.2025

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फल विज्ञान विभाग के अंतर्गत आने वाले खंड में सेव की फसल की नीलामी दिनांक: 22.07.2025 (मंगलवार) को 12:00 अपराह्न को (डमराह क्षेत्र) में रखी गयी है। अतः इच्छुक बोलीदाता रूपये 10000/- मुवलिक दस हजार रूपये मात्र की धरोहर राशि के रूप में बोली शुरू होने से पहले जमा करवाने अनिवार्य होंगे। जो कि बोली समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापिस कर दी जायेगी। सफल बोलीदाता की यह राशि उसकी बोली की राशि में समायोजित कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता को बोली की राशि एकमुश्त जमा करवानी होगी। अतः इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त तिथि व समय के अनुसार अपनी बोली दे सकते हैं। नीलामी से सम्बंधित शर्तें निम्न प्रकार से होगी।

नीलामी की शर्तें।

- प्रत्येक बोलीदाताओं को 10000/- (मुवलिक दस हजार रूपये) मात्र धरोहर राशि के रूप में जमा करवाने अनिवार्य होंगे। जो कि बोली समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं को वापिस कर दी जायेगी और जो बोलीदाता सफल होगा उसकी धरोहर राशि उसकी बोली की राशि में समायोजित कर दी जायेगी।
- प्रत्येक बोलीदाता को कम से कम तीन बोली देनी आवश्यक होगी। अन्यथा उसकी धरोहर राशि जप्त कर दी जायेगी।
- सफल बोलीदाता को उच्चतम नीलामी की राशि एकमुश्त उसी समय जमा करवानी होगी।
- यदि बोलीदाता नीलामी की रकम को उपरोक्त शर्त के अनुसार जमा नहीं करवायेगा तो उसकी धरोहर राशि जप्त कर दी जाएगी व विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि नीलाम किए गये फलों का इच्छानुसार प्रयोग करें।
- यदि सफल बोलीदाता द्वारा फलदार पौधों व विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई गई तो उसकी निर्धारित क्षतिपूर्ति विभागध्यक्ष के पास जमा करवानी होगी।
- नीलाम किए गए फलों की देखरेख व प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।
- विश्वविद्यालय की सीमा के अन्दर किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा यदि हो जाए तो कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम होगा।
- प्राध्यापक एवम अध्यक्ष फल विज्ञान विभाग को बोली स्वीकार करने अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- छात्रों के शोध कार्य हेतु फसल की पैदावार विवरण के लिए प्रत्येक पौधे से पांच फल देना अनिवार्य है।
- प्रत्येक बोलीदाता सेव की फसल का निरीक्षण किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में कर सकते हैं।




प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
फल विज्ञान विभाग
दिनांक:

पृष्ठांकन सं: उपरोक्त:-

उपरोक्त प्रतिलिपि सूचनार्थ व विस्तृत प्रचार हेतु :

1. समस्त संवैधानिक अधिकारी एवं सभी विभागाध्यक्ष, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन।
2. निदेशक अनुसंधान व नियन्त्रक औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय से निवेदन किया जाता है कि उपरोक्त नीलामी में उपस्थित होने की कृपा करें।
3. सचिव उपकुलपति, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन
4. सम्पदा अधिकारी, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन
5. लोक संपर्क अधिकारी, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन
6. सोलन के सभी फल एवं सब्जी विक्रेता तथा स्थानीय ग्राम पंचायत प्रधान, औच्छघाट, नौणी, कोटला पंजौला, शमरोड़ और नारग आदि।
7. सभी सूचनापट्ट औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी-सोलन।



प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष
फल विज्ञान विभाग